सं.13011/10/2017-ति.प्र.हिंदी/ 138

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

हिंदी अनुभाग

906(द), सेवा भवन,
आर के पुरम,
नई दिल्ली - 110066
दिनांक: 16 मार्च, 2018

विषय: 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर भिजवाने के संबंध में ।

कृपया मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट संशोधित प्रपत्र में भाग-I एवं II सहित सही-सही भरकर दिनांक **09 अप्रैल, 2018** तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भिजवा दी जाए ताकि केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर समय पर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात	ध्यान रहे कि धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। इसके अलावा अन्य पत्राचार इसमें शामिल न किया जाए।
2.	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)	ध्यान रहे कि राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाता है।
3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति	केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए
4.	भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा	'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है।
		'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है ।
		'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को लक्ष्य 65% है ।
5.	तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।	'क' क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणियां लिखने का निर्धारित लक्ष्य 75% है।
6.	भाग-II	31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट में **भाग-I के साथ भाग-II** भी भरा जाए।
7.	आंकड़ों का जोड़	यह सुनिश्चित करें कि आंकड़ों का जोड़ सही है।

3. अनुरोध है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट नए प्रोफ़ार्मा में ही भेजी जाए, जो के.ज.आ. की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। पुराने प्रोफ़ार्मा मे भेजी गयी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. **कृपया उक्त तिमाही रिपोर्ट 09 अप्रैल, 2018 तक हिंदी अनुभाग को भेजना सुनिश्चित करें।**

16/3/18

(रजिन्दर पॉल)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
बी पी एल: 3720

सेवा में:-

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना / अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केन्द्रीय जल आयोग ।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
3. निदेशक (प्रशिक्षण), केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक स्थापना-I/प्रशासन, जल विज्ञानीय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग
5. सभी अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग
6. उप निदेशक (एस एम डी) - **इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाए जाए।**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव

22/3/18

एस. एम. नि. अनु./Sec./निदे./Dte.
डा. सं./Dy. No. 81
दिनांक/Date 22/3/18